उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः — /VII–3–18/182–उद्योग/2001
देहरादून, दिनॉकः 21 जून, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2006) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियम और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् (सु.ल.उ.सु.प.) के प्रयोजनार्थ कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ– 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद्, नियमावली, 2018 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं– 2. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2006) अभिप्रेत हैं;

(ख) "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम" से माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम सं0 26 वर्ष 1996) अभिप्रेत हैं;

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 20 के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् अभिप्रेत हैं;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत हैं;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सम्मिलित है अभिप्रेत हैं;

(च) "संस्था" से कोई ऐसी संस्था या केन्द्र, जो अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) और (3) में निर्दिष्ट आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवा प्रदान कर रहा हो, अभिप्रेत हैं;

निदेशक उद्योग
उत्तराखण्ड

(छ) "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ज) "सूक्ष्म एवं लघु उद्यम" इकाई से अधिनियम में परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम अभिप्रेत हैं;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत हैं;

(ञ) प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम मे परिभाषित शब्दो और पदो के वही अर्थ होंगे जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में दिये गये हैं।

सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् का गठन–

3.(1) सरकार राज्य में कम से कम एक सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् का गठन करेगी:

परन्तु यह कि यदि कार्य की मांग ऐसी हो तो एक से अधिक परिषद् का गठन किया जा सकेगा,

(2) सरकार सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को यथा आवश्यक सचिवीय संघटन हेतु सहयोग प्रदान करेगी एवं परिषद् के सचिवीय कार्यों के निस्तारण हेतु सक्षम विभागीय अधिकारी को नामित कर सकेगी, जो परिषद् के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने तथा परिषद् की ओर से नोटिस/आदेश जारी करने हेतु अधिकृत होंगे।

(3) सरकार आवश्यकतानुसार परिषद को विधि परामर्शी उपलब्ध करा सकेगी।

(4) सरकार, प्रार्थना पत्र शुल्क तथा कार्यवाही शुल्क निर्धारित करेगी।

(5) परिषद के सचिवालय की अपनी मुद्रा (seal) होगी।

अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति

4. अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (1) के उपखण्ड (i) में निहित प्राविधानों के अधीन सरकार महानिदेशक/आयुक्त उद्योग को परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त करेगी:

परन्तु यह कि सरकार विभाग के निदेशक उद्योग को भी परिषद् के सीमित कार्य हेतु परिषद् का अध्यक्ष मनोनीत कर सकती है।

परिषद् के सदस्यो की नियुक्ति की रीति

5.(1) सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद्, 3 से अन्यून तथा 5 से अनाधिक सदस्यों (अध्यक्ष को मिलाकर) से मिल कर गठित की जायेगी।

(2) सरकार अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ii), (iii) एवं (iv) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(3) अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii), (iii) एवं (iv) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य परिषद् का सदस्य नहीं रह जायेगा/जायेगी, यदि वह उस श्रेणी या हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता/करती है, जिसमें से उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया था।

(4) यदि परिषद् के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाये या उसके द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाय या उसे पद से हटा दिया जाय या वह सदस्य के रूप मे कार्य करने में असमर्थ हो जाय, तब राज्य सरकार उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी।

(5) परिषद् का कोई सदस्य राज्य सरकार को एक माह की लिखित रूप में सूचना देकर परिषद् से त्याग पत्र दे सकता है।

किसी सदस्य का हटाया जाना

6. राज्य सरकार किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है यदि:–

(एक) वह विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय से इस प्रकार घोषित हो; या

(दो) वह शोधाक्षम या दिवालिया हो या अपने ऋणदाताओं के भुगतान को लम्बित रखता हो; या

(तीन) वह किसी ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध हो जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम सं. 45 वर्ष 1860) के अधीन दण्डनीय हो; या

(चार) वह अध्यक्ष से अवकाश लिये बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों से और किसी भी दशा मे लगातार पांच बैठको से अनुपस्थित रहा हो; या

(पांच) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो, जिससे सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना हो; या

(छः) सरकार ऐसे नामित सदस्य के कार्यों से सन्तुष्ट न हो, तो एक माह का नोटिस देकर।

परिषद् के सदस्यो को मानदेय

7. सदस्यो को दिये जाने वाला पारिश्रमिक, मानदेय या शुल्क तथा भत्ते उसी दर पर दिये जायेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित/अधिसूचित किये जायें।

परिषद के कृत्यों के निष्पादन में अपनायी जाने वाली प्रकिया–

8.(1) व्यथित सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई, उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को अनुसूची 1 में दिए गये प्ररूप में लिखित में निर्देश कर सकेगी। सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई, प्ररूप तथा आवेदन के साथ अनुसूची 1 में निर्धारित प्ररूप में अपना उद्योग आधार मैमोरेन्डम संख्या, मोबाइल सं. एवं ई–मेल पता उपलब्ध करायेगी।

(2) ऐसा निर्देश ऐसे निर्धारित शुल्क/प्रक्रिया शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो तथा आवेदन में इस आशय की भी घोषणा होगी कि किसी भी सिविल न्यायालय में इस संदर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है।

<u>शुल्क व प्रक्रिया शुल्क की दरें:–</u> सूक्ष्म उद्यम – रु० 5000
लघु उद्यम – रु० 10000

(3) इस प्रकार प्राप्त शुल्क/प्रक्रिया शुल्क परिषद् के कृत्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजित होने वाली बैठकों, स्टेशनरी व अन्य आनुषांगिक मदों तथा सदस्यों के मानदेय, कोर्ट फीस व अन्य विविध व्ययों पर व्यय किया जायेगा।

(4) विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई से संदर्भ प्राप्त होने पर परिषद् का सचिवालय इस हेतु भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल पर पूर्ण सूचना दर्ज करेगा।

(5) सूचना दर्ज करने के उपरान्त, परिषद सचिवालय, विक्रेता सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई को संदर्भ की पावती उपलब्ध करायेगा।

(6) परिषद्, विक्रेता सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई के द्वारा प्रस्तुत निर्देश की आरम्भिक स्तर पर शुल्क तथा सक्षमता सम्बन्धी जांच करेगी।

(7) यदि निर्देश या किसी भी निर्देश में दर्ज किये गये विवरण परिषद् द्वारा संतोषजनक नहीं पाये जाते हैं तो वह सम्बन्धित निर्देश को वापिस कर सकेगी।

(8) परिषद् अपने समक्ष रखे गये प्रत्येक निर्देश में या तो स्वयं सुलह करवायेगी या आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवायें प्रदान कर रहे किसी संस्थान की सहायता लेगी तथा यदि वह ऐसा निश्चय करती है तो सुलह कराने हेतु पक्षकारों को संस्थान के पास भेजेगी।

(9) संस्थान, जिसे सुलह के लिए संदर्भित किया गया है पक्षकारों के मध्य सुलह कराने का प्रयास करेगा और सामान्यतः अपनी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष परिषद् से सन्दर्भ प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(10) जहां पर पक्षकारों के मध्य कोई समझौता नहीं हो सका है तथा समझौता प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, वहां पर परिषद या तो वाद को स्वयं अग्रिम कार्यवाही हेतु ग्रहण करेगी, जैसे कि माध्यस्थम अथवा वाद को ऐसे संस्थान को

सन्दर्भित करेगी, जो इस प्रयोजन हेतु बनाये गये हैं।

(11) यदि वाद संस्थान को भेजा गया है, तो संस्थान "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996" में निहित प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही करेगा तथा पंचाट परिषद् को सन्दर्भित करेगा। संस्थान से सन्दर्भित अवार्ड या अवार्ड प्राप्त होने पर परिषद् वाद पर विचार करेगी एवं मामले में युक्तियुक्त अन्तिम आदेश पारित करेगी।

परिषद की बैठक एवं कोरम (गणपूर्ति)–

9.(1) सामान्यतः परिषद् की कोई बैठक कम से कम सात दिन के नोटिस के पश्चात् आयोजित की जायेगी, किन्तु अति आवश्यकता की दशा में इससे कम अवधि के नोटिस पर, जैसा अध्यक्ष उपयुक्त समझे, बैठक बुलाई जा सकेगी।

(2) बैठक के लिए नोटिस/सूचना पक्षकारो को केवल एस.एम.एस. और ई–मेल द्वारा दी जायेगी।

(3) परिषद् की बैठक नियमित रूप से आयोजित होगी, जो माह मे कम से कम एक बार होगी।

(4) परिषद् की बैठक की गणपूर्ति, जहां कुल नामित सदस्य संख्या तीन अथवा चार हों, दो सदस्य होगी तथा जहां परिषद् के कुल सदस्य संख्या पांच हैं, वहां तीन होगी।

परिषद् के निर्णय–

10.(1) परिषद् का कोई विनिश्चय परिषद् की बैठक मे उपस्थित उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत परिषद् को प्रस्तुत किसी भी निर्देश का निर्णय निर्देश प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जायेगा।

(3) ऐसे निर्देश, जिनमें समझौता प्रक्रिया सफल नहीं हुई हो, वहां पर परिषद् द्वारा माध्यस्थम पंचाट "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996" के अनुसार दिया जायेगा और पक्षकारों को निर्णित पंचाट की प्रतियां सात दिनों के भीतर उपलब्ध करायी जायेंगी।

(4) परिषद् सचिवालय प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त इस उद्देश्य के लिए बनाये गये वेब पोर्टल पर दर्ज करेगा।

(5) परिषद् द्वारा पारित पंचाट या कोई अन्य आदेश अपास्त करने के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में स्वीकार नही किया जायेगा, जब तक कि अपीलकर्ता (विक्रेता नहीं) पंचाट या अन्य आदेश, जैसी भी स्थिति हो, की 75 प्रतिशत धनराशि अधिनियम की धारा 19 के अनुसार जमा नही करेगा।

प्रगति सूचना–

11.(1) परिषद् द्वारा सामान्य सूचनाओं के साथ–साथ वार्षिक प्रगति रिपोर्ट इस हेतु बनाये गये वेब पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।

(2) परिषद् अधिनियम में परिभाषित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य सचिव को ऐसी रीति से और प्ररूप में, जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित हो, सूचना उपलब्ध करायेगी।

कठिनाईयों का निराकरण–

12. यदि इन नियमों को लागू करने या इनके निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो उसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2006) के प्राविधानों के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1227 (1)/VII-3/182–उद्योग/2001, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 1227/VII-3-18/182-Industry/ 2001 dated 21 June, 2018 for general information.

Government of Uttarkhand
Micro, Small and Medium Industry Section
No. 1227/VII-3-18/182-Industry/2001
Dehradun: Dated 21 June, 2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Act No. 27 of 2006) and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for facilitating the working of Micro and Small Enterprises Facilitation Council/s (MSEFC/s):

Uttarakhand State Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2018

Short title extent and commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2018.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) **"Act"** means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) **"Arbitration and Conciliation Act"** means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (27 of 1996),

(c) **"Council"** means the Uttarakhand Micro and Small Enterprises Facilitation Council, established by the Government under section 20 of the Act;

(d) **"Chairperson"** means the Chairperson of the Council appointed under clause (i) of Sub-section (1) of section 21 of the Act:

(e) **"Government"** means the Government of the State of Uttarakhand, in the Department of Micro, Small and Medium Enterprises.

(f) **"Institute"** means any institution or centre providing alternate dispute resolution service referred to in sub-section (2) and (3) of section 18 of the Act;

(g) **"Member"** means a member of the Council:

(h) **"MSE"** unit means a micro or small enterprise as per the provisions of Act.

(i) **"Section"** means a section of the Act;

(j) The words and expressions used and not defined, but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the MSMED Act, 2006.

Setting up of the MSEFC Council

3. (1) The Government shall establish at least one Micro & Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC):

Provided that if the work so demands, it may also set up more than one MSEFCs.

(2) The Government may also give assistance to MSEFC for secretarial organization of the council, as desired. It may also designate some officials of the department to work as the Registrar of the Council for the disposal of secretarial works, who may be empowered by MSEFCs to issue notices or orders on behalf of the Council.

(3) The Government may provide a legal expert to assist the Council as per the necessity.

(4) The Government may decide the application and procedural fee.

(5) The Secretariat for Council shall have its own seal.

Manner of appointment of Chairperson

4. The Government shall appoint Director General/ Commissioner of Industries Department as Chairperson of the Council keeping in view the provisions as exist in sub-Clause (i) of clause (1) of Section 21 of the Act.

Provided that the Government may also designate Director Industry as the Chairperson of the Council for limited works of Council.

Manner of Appointment of Members of MSEFC Council

5. (1) The MSEFC shall consist of not less than 3 but not more than 5 members (including the Chairperson).

(2) The Government shall appoint the specified person in clause (ii), (iii) and (iv) of sub-Section (1) of section 21 of the Act as member of the Council.

(3) A member appointed under clauses (ii), (iii) and (iv) of sub-section (I) of section 21 shall cease to be a member of the Council if he or she ceases to represent the category or interest in which he or she was so appointed.

(4) If a member of the council dies or resigns or is removed from office or becomes incapable of acting as a member, the Government may appoint another person to fill that vacancy.

(5) Any member of the Council may resign from the Council by tendering one month's notice in writing to the Government.

Removal of the Member

6. The Government may remove any member from office if:-

(i) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(ii) he becomes bankrupt or insolvent or suspends payment to the creditors; or

(iii) he is convicted of any offence which is punishable under the Indian Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860); or

(iv) he absents himself from three consecutive meetings of the council without the leave of the Chairperson, and in any case from five consecutive meeting; or

(v) acquires such financial or other interest as is likely, in the opinion of the Government, to affect prejudicially his functions as a member, or

(vi) Government is not satisfied with the performance of such nominated member, by giving one month's notice.

Honorarium to the Members of the Council

7. The remuneration, honorarium or fees and allowances paid to the members shall be at such rates as approved/notified by the Government of Uttarakhand from time to time.

Procedure to be followed in the discharge of functions of the Council

8. (1) An aggrieved MSE unit may move a reference in writing to the MSEFC having jurisdiction of the area in the format provided as Schedule I of these rules. The application must have a mobile number and email address of aggrieved MSE unit as provided in Schedule I.

(2) Such reference shall be attached with such prescribed fee/processing charges which may be

(10) Where the conciliation is not successful and ends without any settlement between the parties, the Council shall either itself take up the dispute for further action, i.e; arbitration or refer it to an 'institute' which has been established for the purpose.

(11) If the matter is referred to the institute, the institute shall arbitrate the issue as per the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 and refer the award to the Council. The Council after finalizing the award, or receiving the award from the Institute shall consider the case and pass appropriate final orders in the matter.

Meetings of the Council and Quorum

9. (1) The meeting of the Council shall be ordinarily held after giving seven days notice. However, in case of urgency, it may be called at such short notice as the Chairperson may find suitable.

(2) All the notices/communication for the meeting shall be informed to the parties only through SMS and email.

(3) The Council shall hold regular meetings, at least once a month.

(4) The quorum of meeting will be two in case the number of members is three or four, and it will be three if the number of members is five.

Decisions of the Council

10.(1) Any decision of the Council shall be made by a majority of its members present at the meeting of the Council.

(2) Every reference made under Section 18 to the MSEFC shall be decided within a period of ninety days from the date of making such a reference.

(3) Where the conciliation is not successful, the Council

shall make an arbitral award in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996. Copies of the award shall be made available within seven days.

(4) The Council Secretariat shall upload the proceedings of every meeting of the Council on the web portal created for the purpose.

(5) Any application to set aside the award or decision of the council shall not be entertained by any court while respondent (shall not supplier) shall not deposit the 75% of amount of the award or any other order, as the case may be, as provided in section 19 of the act.

Progress Report

11.(1) The Council shall upload the basic information including the annual progress report of the Council on the web portal created for the purpose;

(2) The Council shall provide information to the Member Secretary of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the Act in the manner and form as required from time to time.

Removal of Difficulties

12. If any difficulty arises in interpretation or enforcement of these rules or explanation, then it shall be determined according to the provisions of MSMED Act, 2006

(Manisha Panwar)
Principal Secretary